

कार्यालय—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक—/प्रश्नोलिंग-4/ ३८५८५-१५

/2018-19

दिनांक: ३०.११.१४

प्रबन्धक,

चीना पब्लिक स्कूल

मूसानगर रोड घाटमपुर कानपुर नगर

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्राप्ति—पत्र।
महोदय,

शासनादेश सं०— 419 / 79-6-2013-18(20) / 91 दिनांक 08-05-2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस संबंध में जांच अधिकारी के निरीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराई गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में भण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 31-10-2018 को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं चीना पब्लिक स्कूल मूसानगर रोड घाटमपुर कानपुर नगर को सत्र 2018-19 से आगामी तीन शैक्षिक सत्र हेतु प्री से कक्षा 8 तक के लिये अनतिम मान्यता प्रदान करने की संस्थाना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपांचं 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3—विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4—पैरा- 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2)के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरितां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5—सोसाइटी /विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

III. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

IV. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23 (1)के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतार्थ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के मीले न्यूनतम् अर्हतार्थ अर्जित करेंगे।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्तिदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और


VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्तिदिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—

क०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाएं	विवरण
1.	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6363 वर्ग मी०
2	कुल निर्मित क्षेत्र	1573 वर्ग मी०
3	क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	—
4	कक्षाओं की संख्या	14
5	प्रध्यापक —सह कार्यालय— सह भण्डारागार के लिये कक्ष	2
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	2/2
7	पेय जल सुविधा	सबवर्सिवल पम्प उपलब्ध है।
8	बाला रहित पहुँच	बाला रहित पहुँच उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल—कूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता	उपलब्ध है।

- 9- विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
- 10-विद्यालय भवनों या संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकान्टेंट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उनिह जानी चाहिये।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू०हा०० स्कूल/अंग्रेजी माध्यम/2018-19 ५० है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तों के शतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
- 17- संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 18- विद्यालय में शिक्षण कार्य टी०इ०टी० उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रवंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।



जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

/2018-19 तददिनांक।

पृ०सं०/प्र०श्र०लि०-४/

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक (बै०)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
- 2- सचिव बोसेक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बै०)कानपुर मण्डल कानपुर।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 5- अत्यसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 6- पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
- 7- संवधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
- 8- कार्यालय प्रति।


जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।


Principal
Cheena Public School
Ghatampur, Kanpur Nagar-209206
Affiliation No:- 2132593
School Code- 70809


SECRETARY
CHEENA PUBLIC SCHOOL
GHATAMPUR, KANPUR NAGAR